महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/स्टोर/ फर्नीचर/2016/ 2992 दिनांक : 11.02.16

अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविध्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	विश्वविध्यालय में पुस्तकालय के लिए फर्नीचर क्रय	15.00	30,000/-	400

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित दिनांक 22.02.16 को मध्यान्ह 2:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविध्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http:// sppp .rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

वित्त नियंत्रक

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम	लाइब्रेरी उपयोग हेतु फर्नीचर	निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि व निविदा फार्म जमा करवाने की अवधि	दिनांक 22.02.16 को मध्यान्ह 2:00 बजे तक
निविदा क्रमांक	दिनांक		
अनुमानित लागत	15 लाख	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 22.02.16 को मध्यान्ह 3:00 बजे
धरोहर राशि	30,000 /–		
निविदा शुल्क	400/–		

1. .... (वस्तुओं का नाम संलग्न सूची के अनुसार जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है) के लिये निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम..
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या..
4. किनको सम्बोंधित किया गया है :–वित्त नियंत्रक ,महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
5. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद.........................एवं दिनांक.....................................द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ड्राफ्ट संख्या...के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
6. हम.......................................द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृश्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
7. संलग्न जी शिड्युल में अंकित मदों की आपूर्ति के लिये दरें उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी, सामग्री की सप्लाई कीमत (उत्पादक शुल्क, काटिज, पैकिंग आदि शामिल करते हुए) केन्द्रीय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूंगी कर यदि कोई इसमें से डिस्काउन्ट, छूट (रिबेट) को घटा शुद्ध मूल्य अर्थात् दर समस्त कर सहित प्रतिनग होगी ।
8. फर्म को आदेश प्राप्त करने के दिनांक से आदेश से आदेशित की गई अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी
9. ऊपर उद्दत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा
10. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या.......................जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या ..../चालान संख्या...........................दिनांक ....रूपये..................................के लिये बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
11. निविदा पत्र के साथ बिक्री कर (वैट) पत्र संलग्न है।
12. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर चुकता पत्र संलग्न है।
13. दरें समस्त कर सहित अंकित की जा रहीं है । अतः अनुमोदित दर के अतिरिक्त किसी प्रकार कोई चार्ज देय नहीं होगा
14. पूर्व में किए गए विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है । (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)
15. निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर आदि का घोशणा पत्र सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रारूप एस आर–II संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

पुस्तकालय फर्नीचर के लिए खुली निविदा हेतु निविदा की शर्तें

टिप्पणीः निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें ।

1. निविदादाता द्वारा निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से एक बडे लिफाफे में (दोनो मोहर बंद लिफाफों सहित) मोहरबंद करके दिनांक 22.02.16 को मध्यान्ह 2 बजे तक वित नियंत्रक कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिये । प्रथम सील बंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार तकनीकी बिड प्रपत्र भरते हुये निविदा के अनुरूप तकनीकी पात्रता हेतु समस्त वाछित दस्तावेज संलग्न करते हुये लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "विश्वविद्यालय के पुस्ताकालय में फर्नीचर आपूर्ति हेतु प्रस्तुत–तकनीकी बिड" अंकित करते हुये प्रस्तुत करनी होगी । दूसरे सीलबंद लिफाफे निविदा शर्तानुसार वितिय बिड प्रपत्र भरते हुये निविदा के अनुरूप वितिय पात्रता हेतु समस्त वाछित दस्तावेज संलग्न करते हुये लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "विश्वविद्यालय के पुस्ताकालय में फर्नीचर आपूर्ति हेतु प्रस्तुत–वितिय बिड" अंकित करते हुये प्रस्तुत करनी होगी ।दोनो लिफाफों को निविदादाता द्वारा डबल सिस्टम के अतंर्गत उचित रूप से एक सिलबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट अक्षरों में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा अंकित हेा, प्रस्तुत करनी होगी तब ही स्वीकार करनी होगी । तकनीकी रूप से पात्र पायी गयी फर्म की ही वितिय बिड खोली जायेगी ।

2. "वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं" :– निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए । अतः वे प्रारूप एस.आर.–11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे ।

3. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।

(ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे । जब तक कि वह / वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

4. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण और शोधन प्रमाण–पत्रः– कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित किया जाना चाहिए था, संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृश्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।

6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पश्ट रूप से किया जाए एंव उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाये । दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए ।

7. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए । स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।

8. i. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।

ii. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

9. मूल अधिमान–मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी ।

10. विधिमान्यताः– निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिन की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी ।

11. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबंध में समस्त शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राईंग्स आदि का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग या विनिर्देश ड्राईंग आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्पूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।

13. विनिर्देशः:–

i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप मे अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी । उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए ।

ii. तारांकित क्रमांक .... की वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरुप होगी तथा अन्य सामग्री के मामलें में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोतम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।

iii. वारंटी/गारंटीः– निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से ....दिन/माल की कालावधि हेतु माल/ भण्डार/वस्तुएं निविर्दिश्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण /तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त .... दिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध मे क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होगें । निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविश्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो । इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविश्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामलें में भी उपर्युक्त खण्ड (3)में वर्णित गारंटी दी जाएगा और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल कुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोश को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोशपूर्ण पाए जाए और उन्हें विनिर्माण दोश आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता । निर्धारित अपवधि मे प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।

14. पूर्व में किए गए विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)संलग्न है।

15. निरीक्षणः–

i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रकिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी ।

ii. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविश्ठ हुए है उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।

16. अस्वीकृत किया जाना:'–

i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी ।

17. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे ।

18. निविदादाता इस बात हेतु दायी होना कि वह समुचित पैंकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेशित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके । किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेशित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

19. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

20. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।

21. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी

i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा मे दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेश प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।

ii. यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तुत का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

22. बयाना राशि'–

i. निविदा के साथ प्रत्येक आईटम की अनुमानित लागत की दो प्रतिशत राशि बयाना राशि के रूप में संलग्न करनी होगी जिसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। यह राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी होगी

ii. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस की दी जाएगी

iii. बयाना राशि से छूटः– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए नए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी ।

iv. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बनाया राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं हैं ।

v. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पड़ी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पडी हुई है।नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।

23. बयाना राशि का समपहरण– बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया ला सकेगा।

i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

ii. जब निविदादाता विनिर्दिश्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निश्पादित नही करता हो
iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो ।
iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता हैं ।

24. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेपः–

i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निश्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी ।
ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक द्वारा विश्वविद्यालय मे जमा कराई जावेगी। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोशजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरूद्ध कोई देयच बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी ।

(ब)

i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी ।
ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे ।
iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
(ख) जब निविदादाता संतोशप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के माले मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निश्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

25. i. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।

ii. उस माल के प्रकरण मं संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देया के अनुरूप पाए जाएं ।

26. शर्ते :–

i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिश्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।
ii. निर्धारित नुकसान–निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी ।
iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 25 प्रतिशत

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाइ से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत

iv. प्रदाय मे विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो ।
v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी ।
vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित मे तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं ।

vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढाया जा सकेगा।

27. वसुलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोशजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी । यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

28. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

29. निविदादाता करार के निश्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

i. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।

ii. यदि फर्म फर्मो के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरणप क्रमांक और रजिस्ट्रीकारण का वर्श

iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक

iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण ।

30. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदिप्त किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिश्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

31. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं

32. आई.एस.ओ. प्रमाण–पत्र पत्रधारी निर्माताओं एवं उधोग विभाग द्वारा पंजीकृत स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, एवं पंजिकृत खादी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी ।।

33. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

पुस्तकालय फर्नीचर के लिए खुली निविदा हेतु निविदा की विशिष्ट शर्ते

प्रतिष्ठित विनिर्माता/अधिकतृ डीलर को निविदा में तकनीकी रूप से पात्र होने के लिये निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करना होगाः–

1. निविदादाता द्वारा इस निविदा के अतंर्गत जी–शेड्यूल में चाहे गये पुस्तकालय हेतु फर्नीचर आपूर्ति मय Installation के कार्य का अनभुव केन्द्र सरकार कार्यालय/राज्य सरकार कार्यालय/केन्द्र अथवा राज्य सरकार का उपकम/शैक्षणिक केन्द्र में किया होना अनिवार्य है । उपरोक्त संपादित किये गये पूर्ण कार्य की अनुमानित कुल लागत रूपये 15 लाख (न्यूनतम) अथवा गत तीन वर्षो में पृथक–पृथक रूपये 5 लाख (न्यूनतम) प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है ।
2. निविदादाता द्वारा गत तीन वर्षो का संबधित कार्य किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को गत तीन वर्षो के अंकेक्षित वितिय स्टेटमेंट निविदा के साथ सलंग्न करने होगें ।
4. यदि मूल विनिर्माता के पार्ट पर डीलर द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो अधिकृत डीलर को प्रतिष्ठित विनिमार्ता द्वारा अधिकृत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. विनिर्माता /अधिकृत डीलर द्वारा संचालित **कार्यालय** राजस्थान राज्य में होना चाहिये जिसके एवंज में संबधित दस्तावेज निविदा के साथ सलग्न करना अनिवार्य है ।
6. ऐसे विनिर्माता जो पर्यावरण के अनुकूल कार्य करते है उनको प्राथमिकता दी जायेगी । यदि निविदादाता अधिकृत डीलर है तो उन्हें विनिमार्ता द्वारा green Certification प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
7. Books Racks में न्यूनतम दरदाता को अन्य items आपूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

(जी शिड्युल)

केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु क्रय किए जाने वाले फर्नीचर के निर्धारित मापदण्ड एवं निविदादाता द्वारा दी गयी दर

S. No.	Name of Particulars	Quantity Required	Specification	दर प्रतिनग (समस्त करों सहित)
1	Books Racks	25	Steel Double faced Stacks one Main Unit With three add.unit With 20gaze having 56 shelves with powder coted or enamel paint color Size 7'6''Hx12'Wx21-75''D	
2	Periodicals Racks	02	Wooden periodical Display Rakes With 25 Compartments Size 75''Hx57''Wx16''D	
3	Reference Racks (Book case)	20	4 door books case with glass with looks system for all door 20 gaze 1742mmx914mmx320mm.	
4	Property Counter	04	Size 72"x48"x18" having 12 compartment with coverd with lock system with 22 gaze Iron body	

नोटः– दरे समस्त कर सहित एफ ओ आर महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर देनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील